आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.12.2023	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A Case No. -19/2007-08 मलिन्द बास्की एवं अन्य **बनाम** गोबिंद हेम्ब्रम एवं 16 आना रैयत। **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-13/2005-06 में दिनांक-22.08.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement Case No-13/2005-06 में दिनांक-22.08.2007 को पारित आदेश द्वारा मौजा-फाँसीडंगाल, अनावादी खाता सं0-42, दाग सं0-765/ए0, रकवा-0.71 एकड़ भूमि का बंदोबस्ती स्वीकृति आवेदक गोबिंद हेम्ब्रम, पिता-राखाल हेम्ब्रम निवासी फाँसीडंगाल को दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-फाँसीडंगाल के जमाबंदी रैयत है। उनके जमाबंदी दाग सं0-796 से सटा हुआ पुरातन पतित दाग सं0-795 है, उत्तरवादी गोबिंद हेम्ब्रम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में मौजा-फाँसीडंगाल, अनावादी खाता सं0-42, दाग सं0-765 के अंश रकवा-0.71 एकड़ भूमि का वास्तविक तथ्य को छिपाते हुए बंदोबस्ती की स्वीकृति करा लिया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा पुरातन पतित दाग सं0-795 के अंश रकवा-71 डी0 पर उनके पूर्वजों द्वारा श्रमिक एवं अधिक खर्च करते हुए जमीन धानी में परिवर्तन के पश्चात उनके जमाबंदी दाग सं0-796 से मिला लिया गया है एवं उक्त जमीन पर धान एवं अन्य फसल उपजाया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा अंचल अधिकारी नाला से जाँच प्रतिवेदन का माँग किया गया लेकिन अंचल अधिकारी नाला द्वारा बिना स्थलीय जाँच किये गोबिंद हेम्ब्रम के पक्ष में बंदोबस्ती करने हेतु अनुशंसा कर दिया गया। बिना स्थलीय जाँच प्राप्त किये प्रश्नगत पतित भूमि का अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा बंदोबस्ती किया जाना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 28 एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के Standing order no-3473 dated-21.10.1957 में अंतर्निहित भावना के विरूद्ध है। उत्तरवादी गोबिंद हेम्ब्रम के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-फाँसीडंगाल के जमाबंदी रैयत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-फाँसीडंगाल के दाग सं0-795, किस्म-पुरातन पतित दर्ज है। उक्त दाग सं0-795 से सटे उत्तरवादी का जमाबंदी दाग सं0-796 है। उत्तरवादी द्वारा दाग सं0-795 के अंश रकवा का अत्यधिक खर्च एवं श्रमिक द्वारा धानी जमीन में परिवर्तन के पश्चात उनके द्वारा विभिन्न फसल उपजाते हुए जोत-आवाद किया जाता है। अंचल अधिकारी नाला द्वारा भी प्रश्नगत जमीन के बंदोबस्ती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को अनुशंसा किया गया था। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख संलग्न निम्न न्यायायल के अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय में आवेदक गोबिंद हेम्ब्रम द्वारा दिये गये आवेदन में मौजा-फाँसीडंगाल के दाग सं0-795 के अंश रकवा-71 डी0 का बंदोबस्ती हेतु प्रार्थना किया गया। अंचल अधिकारी नाला द्वारा उनके पत्रांक-840/रा0, दिनांक-06.12.2005 में हल्का कर्मचारी द्वारा मौजा-फाँसीडंगाल के खाता सं0-......, दाग सं0-765 के अंश रकवा-0.71 डी0 जमीन का गोबिंद हेम्ब्रम, पिता राखाल हेम्ब्रम को बंदोबस्ती करने हेतु अनुशंसा किया	

गया है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement Case No-13/2005-06 में दिनांक-22.08.2007 को पारित आदेश द्वारा मौजा-फाँसीडंगाल, अनावादी खाता सं0-42, दाग सं0-765/ए0, रकवा-0.71 एकड़ भूमि का बंदोबस्ती की स्वीकृति आवेदक गोबिंद हेम्ब्रम, पिता-राखाल हेम्ब्रम निवासी फाँसीडंगाल को दिया गया। निम्न न्यायालय में आवेदक गोबिंद हेम्ब्रम द्वारा मौजा-फाँसीडंगाल के दाग सं0-795 के अंश रकवा-71 डी0 का बंदोबस्ती हेतु प्रार्थना किया गया जबकि अंचल अधिकारी नाला द्वारा मौजा-फाँसीडंगाल के दाग सं0-765 के अंश रकवा-0.71 डी0 बंदोबस्ती करने हेतु अनुशंसा किया गया तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा अनावादी खाता सं0-42, दाग सं0-765 के रकवा-0.71 एकड़ भूमि का बंदोबस्ती दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आवेदक द्वारा प्रार्थना किये गये दाग स0 एवं रकवा, हल्का कर्मचारी द्वारा बंदोबस्ती हेतु अनुशंसा किये गये दाग सं0 एवं रकवा तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा पारित किये गये आदेश में वर्णित दाग सं0 एवं रकवा में भिन्नता पाया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-13/2005-06 में दिनांक-22.08.2007 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-13/2005-06 में दिनांक-22.08.2007 को पारित आदेश खारिज करते हुए पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.01.18 11:11:18 +05:30
Location: 192.168.43.106